गलत बयानी के लिए डॉ. रोहताश से जवाब तलबी

रोहतक। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने निर्धारित समय में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी न करने से जुड़े मामले में गलत बयानी के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के पूर्व निदेशक डॉ. रोहताश यादव से जवाब तलबी की है। इस मामले में संस्थान के ही 5 डॉक्टरों के खिलाफ स्वत: संज्ञान नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने कहा कि इस केस में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही मिलेगी, उन सभी को आयोग द्वारा नोटिस दिया जाएगा क्योंकि यह पीड़ित व्यक्तियों में मानवीय संवेदनाओं के मृत होने का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि आयोग ने इन फाइलों को लम्बित रखने के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार जिन डॉक्टरों के खिलाफ स्वत: संज्ञान नोटिस जारी किया है, उनमें डॉक्टर अजय, अंजलि, पेमा, साक्षी और अमरनाथ शामिल हैं। आयोग ने इन डॉक्टरों की मेल आईडी और मोबाइल नम्बर भी मांगे हैं ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया जा सके कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अनुसार समय पर सेवा न देने के लिए क्यों न उन पर 20-20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। मृत्यु के 125 लम्बित मामलों के बारे में यह जानकारी भी मांगी है कि वे उपायुक्त कार्यालय या सिविल सर्जन कार्यालय को किस तारीख को भेजे गए थे। उपायुक्त और सिविल सर्जन को भी इस बात की पुष्टि करने को कहा है कि क्या ये मामले उनके कार्यालयों में प्राप्त हुए। उन पर क्या कार्रवाई की गई।